न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक)
इटावा जिला कोटा

केसल नं. :– 49/2021 तारीख दायरा :–13.09.2021 तारीख फैसला :– 30/9/21

पीठासीन अधिकारी– श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

बउनवान

1. सोहनलाल पुत्र नन्दकिशोर उम्र 55 वर्ष जाति कलाल निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. ओमप्रकाश पुत्र नन्दकिशोर उम्र 50 वर्ष जाति कलाल निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

– प्रार्थीगण

बनाम

1. जमील अहमद पुत्र रूस्तमखान उम्र 65 वर्ष जाति मुसलमान निवासी अयाना हाल मुकाम 23–A आर0के0 नगर पुलिस लाइल बारां रोड़ कोटा राज0।
2. कमला बाई पत्नि द्वारकालाल उम्र 70 वर्ष जाति धाकड़ निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
3. सतीश कुमार पुत्र जीतराम उम्र 53 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी 10 नियर जनरल चौपाल गडी रणडाला निजामपुर पश्चिम दिल्ली।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0 टी0एक्ट

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि–

1. प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तत कर दिया है जिसमें कामयाबी की पुर्ण उम्मीद है।

2. यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 के रहने वाले है जिन्होने एक राय होकर कमला बाई पत्नि द्वारकालाल के खाते की जमीन जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 खाता संख्या 214 पुरानी 49 खाते की जमीन खसरा नम्बर 2089 करबा 1.11 हैक्टेयर नहरी दोयम कुला किता 1 का रकबा 1.11 है0 निहित को कृषि भुमि वाके माल ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 को अपने नाम पंजीयन करवाकर खाते दर्ज करवाकर बैचान करना तय हुआ था और उक्त आराजी ख0न0 2089 में वादी क्रम 2 का कब्जा पुर्व में भी था और आज भी है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

3. यह कि मद नम्बर 1 मे वर्णित भुमि के बदले प्रार्थीगण और अप्रार्थी क्रम1 जमील अहमद ने ख0न0 2065 रकबा 0.81 है0, ख0न0 2071 रकबा 0.35 है0, व ख0न0 3387/2071 रकबा 0.23 है0 कुल किता 3 का रकबा 1.39 है0 , भुमि जो भैरूलाल के वारीसान सत्यनारायण, गिरिराज, सुशिला, सुमित्रा, मन्जु, कान्ति पत्नि शम्भुदयाल आदि के खाते में दर्ज थी और भैरूलाल के वारीसों के बटवारे में प्राप्त होने के बाद जमील अहमद के नाम प्रार्थी क्रम 1 ने बेचान करवाई और कमला बाई के खाते की जमीन ख0न0 2089 के बदले2065/2071 व 3387/2071 की भुमि को कमला बाई के खाते लगाना था और लगाया भी और कमला बाई के ख0 न0 2089 में से एक बीघा जमीन प्रार्थी क्रम 2 के खाते लगनी थी दो बीघा प्रार्थी क्रम 1 के खाते लगानी थी क्योंकि प्रार्थी क्रम 2 का तो उक्त भुमि पर कमला बाई के खाते की भुमि पर कब्जा था और प्रार्थी क्रम 1 ने तीन लाख रूपये उक्त सौदे मे लगाये थे और शेष पौने चार बीघा जमील अहमद के खाते लगानी थी लेकिन जमील अहमद ने कमला बाई अप्रार्थी क्रम 2 की समस्त जमीन स्वयं जमील अहमद ने खाते लगवा ली और खाते लगते ही उक्त आराजी ख0न0 2089 को चुपके से अप्रार्थी क्रम 4 सतीश को बैचान करदी जबकी उक्त आराजी पर प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त है और 13 फुट का रास्ता रोड साईड में प्रार्थी क्रम 2 ने दिया है और प्रार्थी क्रम 1 ने भी उक्त आराजी जो भैरूलाल के वारिसों से जमील अहमद के खाते लगवाई थी उसमें प्रार्थीगणों ने भी रूपया लगाया था जिसका सबुत बतौर साक्ष्य न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

4. यह कि प्रार्थी क्रम 1 ने ख0न0 2065,2071 व ख0न0 3387/2071 को सौदा भैरूलाल के वारीसों से किया और उक्त सौदे में तीन लाख रूपयें दो संयुक्त खातेदार सुशिला व गिर्राज को दिये और शेष रकम अप्रार्थी क्रम 1 ने दी और ख0न0 2065, 2071 व 3387/2071 को अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली और अप्रार्थी क्रम 2 कमला बाई के खाते जरिये रजिस्ट्री बैचान करदी उसके बदले कमला बाई को 300000 रूपये और दिये और कमलाबाई अप्रार्थी क्रम 2 के खाते की जमीन ख0न0 2089 रकबा 1.11 है0 को अप्रार्थी क्रम 1ने अपने नाम रजिस्ट्री करवाकर नामान्तरण खुलवाकर चुपके से अप्रार्थी क्रम 3 के नाम ख0न0 2089 की रजिस्ट्री करवादी और सारा रूपया हडप गया और प्रार्थीगण से कहा आप उक्त भुमि पर कब्जा छोड़ दो।

5. यह कि प्रार्थीगणों के साथ अप्रार्थी क्रम 1 ने विश्वासघात किया है और बहला फुसलाकर रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली जबकी प्रार्थीगण ने भुमि के बदले भुमि लेने के लिए जब भैरूलाल के वारीसों को 300000 लाख रूपये सुशिला को व गिरिराज को 150000 रूपयें दिये है जिसका मय सबुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

6. यह कि वाद करण जब पैदा हुआ अप्रार्थी क्रम 1ने ख0न0 2089 की रकबा 1.11 है0 भुमि को अप्रार्थी क्रम 3 को प्रार्थीगण की सहमति के बिना बैचान कर दिया और जब प्रार्थीगणों को पता चला और अप्रार्थीगण ने कहा कि उक्त भुमि प्रार्थी क्रम 3 को 4000000/—अक्षरे चालीस लाख रूपयें में बेची है जब भी अप्रार्थीगणों ने कि अपनी तीनों की मुल रकम निकालनें के बाद हम जो भी मुनाफा होगा वह आधा आधा कर लेते है लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 ने दिनांक 05.09.2021 को कहा कि मैं तुम्हे तुम्हारा मूल व मुनाफा नहीं दुंगा तुम्हारी मर्जी हो जहां जाकर कार्यवाही करो आपके लिए थाना व अदालत खुली है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

7. यह कि अप्रार्थी क्रम नें प्रार्थीगण के साथ धोखाधडी करके अपने खातेदारी व रजिस्टर्ड दस्तावेज का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी क्रम 3 को प्रार्थीगण के कब्जाशुदा व कब्जे काश्त कि आराजी से बेदखली की कानुनन कार्यवाही किये बिना बेदखल करने पर आमादा है इस कारण प्रार्थीगणों के लिए आवश्यक हो गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 4 के विरूद्ध नामान्तरण दर्ज होने से पुर्व उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रार्थना है कि प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण क्रम 1,2,3 व 4 के विरूद्ध इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला दौराने वाद पारित की जावे कि:-

(अ) अप्रार्थीगण क्रम 1,2,3, व 4 के विरूद्ध इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे प्रार्थना पत्र कि जमीन मद न0 2 में वर्णित विवादित कृषि आराजी वाके माल अयाना के खाते की जमीन जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 खाता संख्या नया 214 पुरानी 49 कि ख0न0 2089 रकबा 1.11 है0 नहरी दोयम कुल किता 1 का रकबा 1.11 है0 निहित को कृषि भुमि वाके माल अयाना पटवार हल्का अयाना तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित हैं। जिसमें अप्रार्थीगण किसी किस्म कि मदाखलत-मजाहमत, निर्माण कार्य, रहन, दान, बैचान, वसीयत, रिलीजडिड को आधार मानकर किसी भी प्रकार का नामान्तकरण दर्ज रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया जावे और बाधा व व्यवधान न तो स्वयं पहुंचावे न ही अपने प्रतिनिधियों से पहुंचावे।

(ब) कि प्रार्थीगण क्रम 4 को आदेश दिया जावें कि उपरोक्त कब्जे कास्त की आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी दस्तावेज को आधार मानकर इन्द्राज कर अमल दरामद नहीं करे एवं एवं दौराने दावा यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त विवादित कृषि आराजी पर निर्माण कार्य, बैचान, वसीयत, दान, रिलिजडिउ आदि कर बैदखल कर कब्जा प्राप्त कर लेते है तो प्रार्थीगण द्वारा निष्पादित किया गया दस्तावेज शुन्य एवं प्रभावहीन तथा प्रार्थीगण के अधिकारों के विरूद्ध बैअसर माना जाकर अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा प्रार्थीगण के सुपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। दिनांक 17.09.2021 को प्रार्थी कम 3 की ओर से वकील श्री इन्द्रजीत मीणा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर शीध्र सुनवाई किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 27.09.2021 को अप्रार्थीगण कम 1 व 2 की ओर से श्री पृथ्वीराज वैष्णव द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब पेश किया। अप्रार्थी कम 3 की ओर से भी जर्ये वकील अप्रार्थी जवाब पेश किया प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। अप्रार्थी कम 1, 2 की ओर से जवाब पेश करते हुए प्रार्थना पत्र की सभी मदो को अस्वीकर किया जाकर अप्रार्थी कम 1 ता 2 द्वारा विशेष कथन किया गया जो निम्न है :-

1. यह कि ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की खसरा नम्बर 2089 रकबा 1.11 हैक्टेयर भुमि हरिशंकर पुत्र श्री रामनिवास जाति महाजन निवासी लबान तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी राज0 के खाते दर्ज थी। हरिशंकर द्वारा उक्त आराजी को दिनांक 25.07.2006 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी क्रम 02 को बेचान कर कब्जा संभला दिया। उक्त आराजी पर प्रतिवादी क्रम 02 द्वारा लगभग 08 वर्ष तक फसल काश्त की गई तथा दिनांक 21.04.2014 को प्रतिवादी क्रम 02 द्वारा प्रतिवादी क्रम 01 को उक्त भूमि बैचान कर तहसील पीपल्दा में प्रतिवादी क्रम

के पक्ष में पंजीयन करवाकर कब्जा संभला दिया, जिस पर प्रतिवादी क्रम 01 दिनांक 15.06.2021 तक काबिज रहा।

2. यह कि प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा उक्त कृषि आराजी खसरा नम्बर 2089 रकबा 1.11 हैक्टेयर को दिनांक 15.06.2021 को प्रतिवादी क्रम 03 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान कर दिया गया तथा उक्त आराजी का कब्जा भी प्रतिवादी क्रम 03 को संभला दिया जिस पर प्रतिवादी क्रम 03 काबिज काश्त चला आ रहा है।

3. यह कि ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा की कृषि आराजी खसरा नम्बर 424 रकबा 1.07 है0, ख0न0 1589 रकबा 0.08 है0, ख0न0 1842 रकबा 0.81 है0 ख0न0 2051 रकबा 0.36 है0, ख0न0 2065 रकबा 0.81 है0, ख0न0 2071 रकबा 0.58 है0, ख0न0 2986 रकबा 0.57 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 4.28 हैक्टेयर भूमि में भैरूलाल का 1/4 हिस्सा निहित था। भैरूलाल की मृत्यु के बाद नामान्तरण उसके वारिसान सत्यानारायण, गिरिराज, पुत्रान् सुशीला, सुमित्रा, मंजू, पुत्रिया भैरूलाल हिस्सा 5/24 व दिलखुश पुत्र नीतु, सोनिया पुत्रियां कान्ति बाई बेवा शम्भूदयाल हिस्सा 1/24 के नाम दर्ज हो गया भैरूलाल के उक्त वारिसान द्वारा अलग अलग समय पर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त आराजी में निहित अपने 6/24 हिस्से का बैचान प्रतिवादी क्रम 01 के पक्ष में कर दिया तथा कब्जा प्रतिवादी क्रम 01 को संभला दिया।

4. यह कि भैरूलाल के वारिसान की उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा क्रय करने के बाद प्रतिवादी क्रम 01 व अन्य सहखातेदारों के मध्य आपसी राजीनामें से इकरारनामा बंटवारा दिनांक 15.07.2014 को तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष निष्पादित हुआ जिसके तहत खसरा नम्बर 2065 रकबा 0.81 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2071 रकबा 0.58 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर भुमि बंटवारे में प्रतिवादी क्रम 01 को प्राप्त हुई जिस पर प्रतिवादी क्रम 01 काबिज काश्त रहा। उक्त हिस्सें में प्राप्त आराजी में से प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा प्रतिवादी क्रम 02 को भूमि बैचान कर दी गई।

5. यह कि प्रार्थीगण द्वारा भैरूलाल के वारिसान गिरिराज पुत्र भैरूलाल व सुशिला पुत्री भैरूलाल के फर्जी शपथ पत्र तैयार कर व कुटरचित हस्ताक्षर करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त आराजी बाबत् स्थगन आदेश जारी करवा लिया गया है, जबकी अप्रार्थीगण द्वारा सुशिला व गिरिराज से जानकारी लेने पर उन्होने बताया कि हमारे द्वारा कोई शपथ पत्र बतौर साक्ष्य सबूत जारी नही किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने व अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थी क्रम 03 के पक्ष में दर्ज होने वाली नामान्तरण प्रक्रिया को रोकने की गरज से फर्जी शपथ पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है।

6. यह कि प्रार्थी क्रम 01 अप्रार्थी क्रम 01 व 02 के पक्ष में रजिस्टर्ड बैचान में बतौर गवाह दर्ज है, उक्त दस्तावेजातृ बैचाननामा की सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थी क्रम 01 को है। तथा जो उक्त दस्तावेज के निष्पादन के समय उपपंजीयक पीपल्दा के समक्ष प्रस्तुत होकर क्रेता विक्रेता के मध्य हुए उक्त पंजीयन का साक्षी रहा है।

7. यह कि प्रार्थीगण द्वारा कभी भी उक्त भुमि के विक्रय बाबत् हुये सौदे में कोई रकम नही लगाई गई है, महज अप्रार्थीगण से रकम हडपनें की गरज से प्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थीगण का

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

उक्त आराजी में कभी भी कोई कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण लगातार उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहै है तथा वर्तमान में उक्त विवादित भुमि पर अप्रार्थी क्रम 03 लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है।

8. यह कि प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है और न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है और नहीं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होनी है बल्कि प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि वै उक्त आराजी के खातेदार कृषक रहै है। तथा लगातार उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहे है, सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है और यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई तो अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

इसी प्रकार अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा भी अलग से जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की समस्त मदो को अस्वीकार कर विशेष आपत्तियॉ निम्नानुसार पेश की गई :–

1. यह कि ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 की खसरा नम्बर 2089 रकबा 1.11 हैक्टेयर भुमि हरिशंकर पुत्र श्री रामनिवास जाति महाजन निवासी लबान तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी राज0 के खाते दर्ज थी। हरिशंकर द्वारा उक्त आराजी को दिनांक 25.07.2006 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी क्रम 02 को बेचान कर कब्जा संभला दिया, जिस पर प्रतिवादी क्रम 01 दिनांक 15.06.2021 तक काबिज रहा।

2. यह कि प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा उक्त कृषि आराजी खसरा नम्बर 2089 रकबा 1.11 हैक्टेयर को दिनांक 15.06.2021 को प्रतिवादी क्रम 03 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान कर दिया गया तथा उक्त आराजी का कब्जा भी प्रतिवादी क्रम 03 को संभला दिया जिस पर प्रतिवादी क्रम 03 काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा क्रय की गई उक्त कृषि आराजी में दर्ज हाने वाले स्वयं के नामान्तरण को बाधित करने की कोशिश कर रहे है तथा प्रार्थीगण, अप्रार्थी क्रम 03 को बेवजह परेशान कर रहै है जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

3. यह कि प्रार्थीगण द्वारा भैरूलाल के वारिसान गिरिराज पुत्र भैरूलाल व सुशिला पुत्री भैरूलाल के फर्जी शपथ पत्र तैयार कर व कुटरचित हस्ताक्षर करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त आराजी बाबत् स्थगन आदेश जारी करवा लिया गया है, जबकी अप्रार्थीगण द्वारा सुशिला व गिरिराज से जानकारी लेने पर उन्होने बताया कि हमारे द्वारा कोई शपथ पत्र बतौर साक्ष्य सबूत जारी नही किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी क्रम 03 को नुकसान पहुंचाने व अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थी क्रम 03 के पक्ष में दर्ज होने वाली नामान्तरण प्रक्रिया को रोकने की गरज से फर्जी शपथ पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है।

4. यह कि प्रार्थी क्रम 01 अप्रार्थी क्रम 01 व 02 के पक्ष में रजिस्टर्ड बैचान में बतौर गवाह दर्ज है, उक्त दस्तावेजातृ बैचाननामा की सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थी क्रम 01 को है। तथा जो उक्त दस्तावेज के निष्पादन के समय उपपंजीयक पीपल्दा के समक्ष प्रस्तुत होकर क्रेता विक्रेता के मध्य हुए उक्त पंजीयन का साक्षी रहा है।

उपपंजीयन रजिस्ट्रार
इटावा जिला कोटा

यह कि प्रार्थीगण द्वारा कभी भी उक्त भुमि के विक्रय बाबत् हुये सौदे में कोई रकम ही लगाई गई है, महज अप्रार्थीगण से रकम हडपनें की गरज से प्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी में कभी भी कोई कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण लगातार उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहै है तथा वर्तमान में उक्त विवादित भुमि पर अप्रार्थी क्रम 03 लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है।

6. यह कि प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है और न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है और नहीं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होनी है बल्कि प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थी क्रम 03 के पक्ष में है क्योंकि वै उक्त आराजी का सद्भाविक क्रेता है। तथा लगातार उक्त आराजी पर काबिज काश्त है, सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी क्रम 03 के पक्ष में है और यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई तो अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी क्रम 03 को होनी है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्राथी अधिवक्ता एवं अप्राथीगण अधिवक्ता ने अपने अपने पक्ष में साक्ष्य हेतु फर्द के साथ दस्तावेज पेश किये जो शा0फा0 किये गये। पत्रावली में उभक्ष पक्ष के अधिवक्ताओ ने बहस की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराया एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओ ने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया ।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की सुनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज , राजस्व रेकार्ड, एवं बहस अधिवक्ताओं पर गहन अध्ययन मनन किया गया। विवादित प्रकरण के अवलोकन पर पूर्व मे दिनांक 13.09.2021 को प्रार्थी अधिवक्ता एक पक्षीय बहस के आधार पर अस्थाई निषेघाज्ञा आगामी तारीख पेशी जारी की गई। प्रार्थी द्वारा विवादित प्रकरण में अपने ओर से अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहा है एवं प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी कम 3 द्वारा उपपंजीयक पीपल्दा से जर्ये विकय पत्र अप्रार्थी कय 1 से कम की गई है। विवादित प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेघाज्ञा कन्फर्म कर दी जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी। अतः पत्रावली के अवलोकन एवं तमाम संलग्न दस्तावेजो से हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि पूर्व मे जारी विवादित आराजी में अस्थाई निषेघाज्ञा को समाप्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाकर प्रकरण में दिनांक 13.09.2021 को जारी अस्थाई निषेघाज्ञा खारिज की जाती है एवं प्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थी कम 3 की कयशुद्वा आराजी में मूल वाद के फैसल होने तक किसी प्रकार की मदाखलत – मजाहमत पैदा नही करे। पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक ...30/2/21..... को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा